रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 60] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 11, 2014/माघ 22, 1935
No. 60] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 11, 2014/MAGHA 22, 1935

संचार एंव सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(बेतार आयोजना और समन्वय स्कंध)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 2014

सा.का.नि. 83 (अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 4 और धारा 7 और भारतीय बेतार तारयांत्रिकी अधिनियम, 1933 (1933 का 17) की धारा 4 और धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ–

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अति निम्न शक्ति रेडियो आवृत्ति युक्तियां या उपस्कर जिसके अंतर्गत रेडियो आवृत्ति पहचान युक्तियां भी हैं, के उपयोग (अनुज्ञप्ति की अपेक्षा से छूट) नियम, 2014 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. लागू होना – ये नियम 09-50 किलो हर्टज़ आवृत्ति बैंड में लागू होंगे ।

3. परिभाषाएं – इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों,-

(क) प्राधिकारी से भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित प्राधिकारी अभिप्रेत है ;

(ख) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किंतु भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) और भारतीय बेतार तारयांत्रिकी अधिनियम,1933 (1933 का 17) में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उनके आनुक्रमिक रूप से उन अधिनियमों में दिए गए हैं ।

4. 09 – 50 किलो हर्टज़ आवृत्ति बैंड में रेडियो आवृत्ति पहचान युक्तियां जिसके अंतर्गत अति निम्न शक्ति रेडियो आवृत्ति युक्तियां या उपस्कर भी हैं का उपयोग – नीचे सारणी में यथाविनिर्दिष्ट अधिकतम विकिरण शक्ति या सामर्थ्य सीमाओं के साथ, अहस्तक्षेप, असंरक्षित और साझा (गैर विशेष) आधार पर, 09 - 50 किलो हर्टज़ के आवृत्ति बैंड में समेकित, समर्पित या बाह्य एंटेना (बाह्य एंटेना के मामले में केवल पाशचक्रित कुंडली एंटेना लगाया जा सकेगा), रेडियो आवृत्ति पहचान युक्तियां जिसके अंतर्गत अति निम्न शक्ति रेडियो आवृत्ति की युक्तियां या उपस्करों भी हैं के उपयोग के प्रयोजन के लिए किसी बेतार

उपस्कर को स्थापित करने, अनुरक्षित करने, कार्य करने, रखने या किसी बेतार उपस्करों से व्यवहार करने के लिए किसी व्यक्ति को अनुज्ञप्ति की आवश्यकता नहीं होगी, अर्थात् :--

सारणी

निम्नलिखित आवृत्ति बैंड का उपयोग करने के लिए प्रेरणिक अनुप्रयोगों की तकनीकी लक्षण

आवृत्ति बैंड	अधिकतम विकिरण शक्ति या क्षेत्र तीव्रता सीमा
(1)	(2)
09 - 50 किलो हर्टज	72 डिसबिल माइक्रो एम्पियर प्रति मीटर या 123.5 डिसबिल माइक्रो एम्पियर वोल्ट प्रति 10 मीटर

परंतु यह कि जब कभी केन्द्रीय सरकार से विशिष्ट सेवा अनुज्ञप्ति आवश्यक हो तो इस नियम के उपबंध लागू नहीं होंगे ।

शर्तें - इस नियम के अधीन अनुदत्त छूटें निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगी, अर्थात् :--

(1) अवांछित ऊर्जा के किसी प्रभाव या उत्सर्जन के किसी संयोजन, किसी रेडियो संचार प्रणाली में किसी उत्सर्जन विकरण या अभिग्रहण पर उत्प्रेरण के सहयोजन, किसी आकर्षण, अपनिर्वचन या सूचनाओं की हानि से प्रकट ऐसी अवांछित ऊर्जा की अनुपस्थिति में उद्धरण किया जा सकेगा, जहां कोई व्यक्ति, जिसे भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 4 और भारतीय बेतार तार यंत्रिकी अधिनियम, 1933 (1933 का 17) की धारा 4 के अधीन कोई अनुज्ञप्ति जारी की गई है, प्राधिकारी को यह सूचित करता है कि उसकी अनुज्ञप्ति प्राप्त प्रणाली को इन नियमों के अधीन छूट प्राप्त किसी अन्य रेडियों संचार प्रणाली से हानिकर व्यतिक्रम प्राप्त हो रहा है, तो ऐसा प्राधिकारी उपस्कर का स्थान परिवर्तन करके, उसकी शक्ति को कम करके, विशेष प्रकार के एंटेना के उपयोग द्वारा व्यतिक्रम से बचने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए ऐसे गैस-अनुज्ञप्ति प्राप्त बेतार उपस्कर के उपयोक्ता को अवसर देगा, जिसमें असफल रहने पर ऐसे प्राधिकारी ऐसे बेतार के उपयोग को रोकने की सिफारिश करेंगे :

परंतु यह कि ऐसे रोके जाने से पूर्व, ऐसे प्राधिकारी द्वारा बेतार उपस्कर के ऐसे गैस-अनुज्ञप्ति प्राप्त उपयोक्ता को परिस्थितियों को स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाएगा ।

(2) उपस्कर - ये अति निम्न शक्ति रेडियो आवृत्ति युक्तियां या उपस्कर अथवा रेडियो आवृत्ति पहचान युक्तियां उपस्कर के किस्म के रूप में ऐसी रीति से अनुमोदित और अभिकल्पित तथा संनिर्मित होंगे जो तकनीकी प्राचल नियम 4 में निर्दिष्ट सारणी में विनिर्दिष्ट सीमाओं के अनुरूप हों :

परंतु यह कि उपस्कर के किस्म का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय सरकार को उपाबंध में दिए गए आवेदन के प्ररूप में आवेदन किया जाएगा ।

[सं0 आर -11020/05/2013-पीपी]

एल.एफ. हुमणे, सहायक बेतार सलाहकार,

उपाबंध

उपस्कर प्रकार अनुमोदन के लिए आवेदन

भाग-क- आवेदक

1. उपस्कर प्रकार अनुमोदन के लिए आवेदन करने वाले विनिर्माता अभिकरण का नाम
2. विनिर्माता का डाक पता
3. प्रकार अनुमोदन के लिए आवेदन करने वाले भारतीय अभिकरण का नाम और पता
4. उत्पाद का नाम और उत्पाद पहचान (मॉडल सं. आदि)

भाग-ख-पारेषक का वर्णन

1. आवृति रेंज
2. प्रीसेट स्विचेबल चैनलों की सं.

3. वॉयस/डाटा/टीवी चैनलों की सं. (मल्टीचैनल उपस्कर की दशा में)
4. टीएक्स-आरएक्स चैनल पृथक्करण (डुप्लैक्स/मल्टीचैनल उपस्कर की दशा में)
5. समीपवर्ती चैनल पृथक्करण (मल्टीचैनल उपस्कर की दशा में)
6. आवृति स्थायित्व
7. कूट/सन्नादी विकरण
   i. कैरियर सप्रेशन
   (कैरियर सप्रैस्ड तत्र की दशा में)
   ii. आवांछित साइड बैंड सप्रेशन (एसएसबी तंत्र की दशा में)
   iii. द्वितीय सन्नादी विकरण
   iv. तृतीय सन्नादी विकरण
8. अधिकतम आवृति विचलन
9. उत्सर्जन की रीति
10. उत्सर्जन की बैंडविड्थ
11. परीक्षणटोन टोन विचालन
12. आधार बैंड आवृति (मल्टीचैनल उपस्कर की दशा में)
13. अपेक्षित मॉडयूलेशन का प्रकार
14. पूर्व जोर
15. विद्युत आउटपुट
    (एंटेना के इनपुट पर)
16. कोई अन्य जानकारी

<u>भाग-ग- प्रापकों के विवरण</u>

1. आवृत्ति रेंज
2. प्राप्ति की रीति
3. प्राप्ति की कूट प्रतिक्रिया
4. संवेदनशीलता
5. आवृत्ति स्थायित्व
6. (क) प्रभावी ध्वनी तापमान
   (ख) अवसीमा इनपुट स्तर
7. मध्यवर्ती आवृत्ति
8. जोर मुक्ति
9. चयनशीलता
10. कोई अन्य विशिष्टियां

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान:

तारीख:

(टिप्पण: प्रत्येक प्रकार के उपस्कर के लिए पृथक आवेदन प्रस्तुत किए जाने चाहिए)